न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।
फौजदारी प्रकीर्णवाद सं०–16/2026
(पंजीकरण सं०–60/2026)
शेषमणि–––––––**बनाम**––––––––––अजय बिंद व अन्य।

दिनांक–08.04.2026

1– पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भा०ना०सु०सं० पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2– आवेदक की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भा०ना०सु०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह जाति का चमार है। घटना दिनांक 17.01.2026 समय करीब 06.00 बजे शाम की है। वह बाजार से सब्जी लेकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह बरिया के पाही से होते हुए नहर की पुलिया के पास पहुँचा तब तक अजय बिंद व उनके साथ तीन अन्य व्यक्ति घेर लिये और उसे लाठी–डंडा व लात–मुक्का से मारने लगे। उसके शर पर सुबाष व अन्य लोग आकर बीच–बचाव करने लगे। जाते समय मुल्जिमान ने उसे धमकी दिया व गाली गुफ्ता दिया कि चमार साले अबकी बार छोड़ दिये यदि कोई शिकायत मेरे खिलाफ लिखाओगे तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। वह दिनांक 18.01.2026 को थाना सिकरारा में दरख्वास्त दिया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया तो उसने पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दिनांक 19.01.2026 को प्रार्थना–पत्र दिया तथा दिनांक 20.01.2026 को मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को प्रार्थना–पत्र दिया तब उसका डाक्टरी मुआयना दिनांक 20.01.2026 को प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र, सिकरारा, जौनपुर में हुआ। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचना की गयी है कि थानाध्यक्ष सिकरारा को आदेशित किया जावे कि वे मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

3– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रसीद, थानाध्यक्ष सिकरारा, मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को संबोधित प्रार्थना–पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ संलग्न किये गये हैं।

4– प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जाता है। प्रकरण में कोई बरामदगी आदि नहीं होनी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभिनिर्णीत विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए०सी०सी० 739** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा प्रकरण की जांच कार्यवाही सम्पादित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– अतः धारा 210 (1) (a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनांक 27.05.2026 को पेश हो।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.04.08 16:25:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur